आदेश प्रदान करें ।

चूँकि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के अधिवक्ताओं द्वारा आवंटित भूमि पर अपना–अपना कब्जा होना बताया है। कब्जा काश्त बाबत दोनों पक्षों ने कोई ठोस साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये है ना ही कब्जा काश्त बाबत गिरदावरियां पेश की है, जिससे उक्त भूमि पर कभी काश्त की हो। पत्रावली में उपलब्ध मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2037 से 2056 से ग्राम बुचारा का ख.नं. 138 किस्म गै.मु. पहाड अंकित है, जिसमें अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 13 के बुजुर्ग नारायण पुत्र नाथू को दिनांक 23/01/1992 को भूमि आवंटन हुयी थी, जो गै.मु. पहाड के रूप में दर्ज होते हुये आवंटन हुयी है, जो गलत है। क्योंकि गै.मु. पहाड की भूमि किसी भी व्यक्ति को आवंटन नहीं हो सकती है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 13 के बुजुर्ग नारायण पुत्र नाथू को दिनांक 23/01/1992 को आवंटन हुयी भूमि के आदेश अपास्त किया जाना न्योचित है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 23/01/1992 को अप्रार्थीगण के बुजुर्ग नारायण पुत्र नाथू को आ.ख.नं. 138 ग्राम बुचारा में से 1.00 हैक्टर भूमि आवंटन हुयी थी, जिसके बट्टा नम्बर 1879/138 रकबा 1.00 हैक्टर है। इसे अपास्त किया जाकर उक्त भूमि को गै.मु. पहाड राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार (भू.अ.) कोटपूतली को निर्देश दिये जाते हैं कि पालना सुनिश्चित् करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर है।
8. निर्णय आज दिनांक 23.1.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)